

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च 2005

(द्वितीय बैठक)

खण्ड- 1, अंक-5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 23 मार्च, 2005

पृष्ठ संख्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(5) 1
(1) हरियाणा में किसानों द्वारा सरसों की तंगी में बिक्री के बारे में	(5) 1
वक्तव्य –	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी उप मुख्य मंत्री द्वारा	
(2) हरियाणा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बारे में	(5)4
वक्तव्य –	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी राजस्व मंत्री द्वारा	
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव –	(5)8
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव–	
विधान कार्य	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन वोट-औन-एकाउट (नं० 1) बिल, 2005	(5) 29

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन वोट-औन-एकाउट (नं ० 2) बिल, 2005	(5)9
(3) दि हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन (रिपील) बिल, 2005	(5) 30
वाक आउट	
दि हरियाणी स्टॉफ सलैशक्त कमीशन (रिपील) बिल 2005, (पूनरारम्भ)	(5) 34

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 मार्च, 2005

(द्वितीय बैठक)

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1। चण्डीगढ़ में बाद दोपहर 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच० एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) हरियाणा में किसानों द्वारा सरसों की तंगी में बिक्रीके बारेमें।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Karan Singh Dalal, M.L. A. regarding the distress sale of Mustard by the farmers in Haryana. I admit it. Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान हरियाणा में किसानों द्वारा सरसों की तंगी में बिक्री संबंधी एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकारी एजैन्सियों द्वारा अधिप्राप्ति के आरम्भ की अनुपस्थिति में सरसों के 1700/- रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपरीत अपनी फसल 1350/- रुपये से 1500/- रुपये प्रति क्विंटल तक बेचने को मजबूर हैं। इस वर्ष

फसल विविधता कार्यक्रम को अपनाते हुए किसानो ने महेन्द्रगढ, रिवाडी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक भिवानी तथा हिसार जिलो में बड़े पैमाने पर सरसो की फसल बोई थी। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति के तुरन्त प्रबन्ध नहीं किए गए तो इन क्षेत्रों के किसानों को अपूरणीय क्षति होगी। नैफड ने राजस्थान मे अपनी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है तथा 3 लाख टन से ज्यादा सरसों की अधिप्राप्ति की है परन्तु इस ने हरियाणा में अपनी कार्रवाई आरम्भ नहीं की है। नैफेड को हरियाणा के किसानो के लिए इसी तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।

किसानो को बचाने की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले पगों पर सदन मे सरकार अना वक्तव्य दे।

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी उप मुख्य मंत्री द्वारा

Mr. Speaker: Now, the Deputy Chief Minister will make the Statement .

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रमोहन): अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे यह वर्णन किया जाता है कि कृषि विभाग के अनुमान अनुसार फसल विविधिकरण कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए महेन्द्रगढ

रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी और सिरसा जिलों के किसानों ने पर्याप्त मात्रा में सरसो की बिजाई की है। इन वर्णित जिलों में अनुमानित 5.56 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सरसो की बिजाई की गई है तथा उत्पादन लगभग 8.71 लाख टन होने की सम्भावना है। पूरे राज्य में लगभग 6.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बिजाई की गई है तथा उत्पादन लगभग 10.40 लाख टन होने की सम्भावना है।

2. हरियाणा राज्य की मण्डियों में रबी, 2005 में दिनांक 21-3-2005 तक 6804 टन सरसो की आमद रिपोर्ट हुई है जिस का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार है: —

जिले का नाम	आमद (21-3-2005 तक) (टनों में)
रिवाड़ी	287
गुड़गांव	1550
रोहतक	426
फरीदाबाद	1442
महेन्द्रगढ़	16

भिवानी	401
हिसार	2542
फतेहाबाद	140
कुल	6804

3. भारत सरकार ने रबी, 2005 में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700/- रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केन्द्रीय एजेंसी नेफेड को नियुक्त किया हुआ है। हरियाणा राज्य में नेफेड सरसों की खरीद हैफेड के माध्यम से करवाती हैं। सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए हैफेड ने अपने जिला अधिकारियों को हिदायतें जारी की हुई हैं तथा उन द्वारा सरसों की खरीद के लिए निम्नलिखित 10 जिलों में 35 मण्डियां अलाट की गई हैं जिन का जिलेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है. —

जिले का नाम	मण्डी
हिसार	हिसार, आदमपुर, उकलाना, बरवाला, भूना तथा हांसी।
सिरसा	सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद तथा कालांवाली

भिवानी	भिवानी, चरखी, दादरी, लोहारू, बहस तथा सीवानी।
रोहतक	रोहतक।
झज्जर	झज्जर।
जीन्द	जीन्द, नरवाना तथा उचाना।
महेन्द्रगढ़	नारनौल। अटेली, कनीना, महेन्द्रगढ़ तथा सतनाली।
रिवाड़ी	रिवाड़ी, बावल, जाटूसाना तथा कोसली।
गुड़गांव	नूंह, पटौदी, तावडू तथा गुड़गांव।
फरीदाबाद	होडल

यदि निर्धारित मण्डियों के अतिरिक्त किसी और मण्डी में सरसों की खरीद के लिए प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई तो उस के लिए भी हैफेड द्वारा उचित प्रबन्ध किये जायेगे।

4. हैफेड द्वारा सरसों की खरीद अभी तक न किये जाने का मूलतः कारण यह है कि मण्डियों में सरसों की जो आमद हुई वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं थी। निर्धारित मापदण्डों अनुसार नमी की मात्रा 6 प्रतिशत तक होनी

चाहिये। जो सरसों मण्डियों में अब तक आई है उस में नमी की मात्रा 14 से 19 प्रतिशत तक आकी गई है। प्रबन्ध निदेशक, हैफेड ने जिला प्रबन्धको को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं कि जहां सरसों अपेक्षित मापदण्ड के अनुसार हो उस की तुरन्त खरीद कर ली जाये।

5. हैफेड द्वारा रबी, 2005 में सरसों की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबन्ध अर्थात् बोरियां व भण्डारण व्यवस्था कर ली गई है। इस सीजन में हैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक लाख टन सरसों की खरीद करने का अनुमान है।

अतः वर्णित स्थिति अनुसार किसानों की सरसों की उपज की खरीद हैफेड द्वारा हरियाणा राज्य की मण्डियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी। तदानुसार हैफेड ने खरीद की कार्यवाही आरम्भ कर दी है। इसके अलावा हैफेड ने सात जिलों में सात परचेज सेंटर और खोले हैं ये सेंटर फरीदाबाद में पलवल, जींद में जुलाना, झज्जर में बहादुरगढ़, सोनीपत में खरखौदा और गोहाना, महेन्द्रगढ़ में नांगल चौधरी, फतेहाबाद में मह और फतेहाबाद व गुड़गांव में फरुखनगर।

श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब परसों मैंने आपके माध्यम से यह मुद्दा इनके नोटिस में लाया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परसों ही इन्होंने

हरियाणा के अन्दर मंडियों में जाकर किसानों से सरसो की खरीद के बारे में बात की है। यह जो फसल चक्र के बारे में कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको नियमित तौर पर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, यह बहुत बड़ी जरूरत है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि सरसों की फसल ऐसी फसल है जिसमें मॉइश्चर 14 से 19 प्रतिशत है और नैफैड का जो मापदण्ड है उसके मुताबिक हैफेड परचेज नहीं करता। अध्यक्ष महोदय अब पहले की अपेक्षा सरसों की आवक प्रदेश में हर साल बढ़ेगी और इसको बढ़ने भी देना चाहिये क्योंकि यह किसानों को अच्छी कीमत अदा करती है। इस बारे में मैं उप मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ सुझाव यह है कि हरियाणा सरकार का जो मार्किटिंग बोर्ड है या हैफेड है वह ड्राइंग मशीन परचेज करके जहां सरसो का इलाका है वहां लगा दें इससे मॉइश्चर की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और इससे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: What do you want to say, Come to the point.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा इन मंडियों में सरसो की परचेज के लिए ड्राइंग मशीनें लगाने के बारे में विचार करेंगे?

श्री चन्द्र मोहन: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंडियों में पंखे प्रोवाइड करते हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है इस पर विचार कर लेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ने विचार करने का आश्वासन दिया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंखों से काम नहीं चलेगा, ड्राइंग मशीनों को खरीद कर लगाने पर विचार करें और आश्वासन दें तो मेहरबानी होगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय साथी ने कहा परसों जब सरकार को पता लगा वैसे ही हम मंडियों में गए और आज से पूरी तरह से खरीद शुरू हो गई है। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इनका जो सुझाव है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि? जहां पर मॉइश्चर ज्यादा था उसके लिए कह दिया गया है कि वे वहां धूप में दो घंटे सुखा सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं। कोई भी किसान अपनी सरसों की फसल वापस लेकर न जाए। दूसरे जो ड्राइंग मशीन की बात आई है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सरसों हैफेड से नैफेड खरीद करता है, मैं नैफेड से इस बारे में बात करूंगा।

(2) हरियाणा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बारे में

Mr. Speaker: Now, move to the next item, Hon' ble

Members, I have received a calling attention motion from Dr. Sushil Indora, M.L.A. and two others members regarding recent hailstorm in Haryana State, I admit it, Dr. Sushil Indora may read his notice.

डा० सुशील इन्दोरा: श्रीमती रैखा राणा: श्री ज्ञान चन्द: स्पीकर सर, मैं, इस महान सदन का ध्यान हरियाणा राज्य में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के एक अत्यावश्यक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा राज्य के लाखों किसानों की गेहूँ, सरसों तथा सब्जियों की फसलें प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इस तरह, किसानों को अत्याधिक अपूरणीय नुकसान हुआ है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस महान सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे कि इस संदर्भ में हरियाणा सरकार द्वारा किस प्रकार के पग उठाए गए हैं।

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी राजस्व मंत्री द्वारा

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will make the statement.

Revenue Minister (Shri Surender Singh): Mr. Speaker Sir, Haryana is an agrarian State with 75% of its population working in the field of agriculture, contributing to the economy of the State. The Government is very anxious to safeguard the interest of the farmers. Whenever the farmers

suffer any loss due to damage to the crops as a result of natural calamities including hailstorm the Government would like to compensate them adequately.

The Government of India set up a Calamity Relief Fund (CRF) for each State in which 75% contribution is made by them and the remaining 25% by the State Government to be utilized for natural calamities. As far as damage to crops as a result of hailstorm is concerned, the norms fixed by Government of India, where the damage to crops is more than 50% are:-

1. Un-irrigated area Rs. 1000/- per hectare
2. Assured irrigated area Rs. 2500/- per hectare
3. Perennial crops Rs. 4000/- per hectare

The present Government immediately after assuming the office decided to enhance the compensation according to the following norms:—

Sr. No.	Extent of damage to standing crops	Existing relief norms per damaged acre	Revised relief norms per damaged acre present by the Govt.	%age hike
	Damages between 26% to 50%	Rs. 1000/-	Wheat Rs. 1500/- Other Crops Rs.1250/-	50% 25%

	Damages from 51% to 75%	Rs. 1500/-	Wheat Rs. 2250/- Other Crops Rs.1875/-	50% 25%
	Damages from 76% to 100%	Rs. 2000/-	Wheat Rs. 3000/- Other Crops Rs.2500/-	50% 25%

Instructions have been issued to all the Deputy Commissioners accordingly.

The current rabi crops has been damaged by the hailstorm in the month of February, 2005 and March, 2005. 8 Districts were affected in February namely, Rewari, Narnaul, Sirsa, Hisar, Karnal, Fatehabad, Bhiwani, Jind (133 villages) and 9 Districts, namely, Rewari, Sirsa, Hisar, Sonapat, Jhajjar, Narnaul, Bhiwani, Jind and Rohtak (253 villages) have been affected in March, 2005, Compensation of Rs. 7.06 crores was given to the farmers whose crops were damaged in February According to pre-revised norms. It has also been decided that the farmers who had been sanctioned the relief as per the then existing norms on 25-2-2005 will also be sanctioned additional amount of Rs. 2.72 crores by 50% as per revised norms in order to provide relief to the farmers.

Hailstorm again occurred in the State from 3rd March, to 10th March, 2005 .and as a result standing crops in rewari, Sirsa, Hisar, Sonapat, Jhajjar, Narnaul, Bhiwani, Rohtak and Jind suffered heavy losses. All the concerned Deputy Commissioners were directed to conduct special girdawari in the affected areas and according to the reports received from them, except Deputy Commissioners, Rohtak

and Jind an approximate area of 52505 acre of wheat crop and 126577 acre of other crops was damaged in March, 2005. Whereas in February, 2005, 51419 acres area was damaged. According to the norms now fixed by the present Government the compensation payable works out to Rs. 49.03 crores. The maximum damage was in Bhiwani and Jhajjar Districts. The break up of the months of February and March, 2005 is Rs. 7.06 crores for February and 39.29 for March, 2005.

The State Government is fully alive to the situation and I would like to assure this August House that the Government would compensate to the farmers and the affected farmers will be paid as per the revised norms fixed by the State Government. The Deputy Commissioners have been directed to disburse the compensation according to the new norms.

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का भारी योगदान है। जहां हरियाणा के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित है वहीं प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल का नुकसान हो जाए तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसकी क्षति पूर्ति करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि अब तक जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसमें इन्होंने गेहूँ की फसल का तो जिक्र किया है, इसके इलावा और कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है, ये इसका मूल्यांकन करके बताएं? मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, चुनाव से पहले ये कहते थे कि 10- 10 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, आपने एक सवाल कर लिया। आप उसका जवाब ले ले और एक बार फिर आपको समय मिलेगा।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी में यही सवाल है, मुख्य मंत्री जी यह वादा करते थे कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों का 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा लेकिन जो आज मुआवजा दिया गया है वह 2500 रुपये प्रति एकड़ दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी क्या इस बात से संतुष्ट हैं या उन किसानों को और मुआवजा दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पहले ओलावृष्टि से गेहूं और दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है। यह जवाब बहुत लम्बा है। यह मैं आपके पास भिजवा देता हूं। वैसे इसमें जो टोटल एरिया है उसमें गेहूं की फसल का एरिया 21953 एकड़ है और दूसरी फसलों का एरिया 27909 एकड़ है। इसमें गेहूं है और दूसरी फसलें भी हैं जैसे सरसो का भी हो सकता है, कुछ वेजीटेबल्स का भी हो सकता है, यह सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इनसे सवाल है कि ये इन फसलों का सही सही मूल्यांकन करके बताएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कालिंग अटेंशन मोशन दिया है उसमें इन्होंने पूछा है कि कितना नुकसान हुआ है और कितना कम्पनसेशन दिया गया है। हमारी सरकार के पास इस अर्से में जो आकड़े आए हैं और उपायुक्तों को जैसी हमने हिदायते दी हैं और मौके पर जो गिरदावरिया की हैं उस बारे में जो डिटेल है वह मैंने आपको व्यान कर दी। इसके अलावा आप किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में पूछना चाहते हैं तो वह आप हमें बता दें। हम आपको लिखित में उसका जवाब दे देंगे।

डा० सुशील इन्दोरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। आपने कहा है कि आप लिखित में भिजवा देंगे तो आप मुझे लिखित में विस्तार से इसका जवाब भिजवा दें।

Mr. Speaker: Mr. Indora, please take your seat.

Dr. Sushil Indora: Sir, I am sorry to say...

(Interruptions)

Mr. Speaker: This is not the way. You have remained in the Parliament.

डा० सुशील इन्दौरा: स्पीकर सर, मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री यह है कि मैंने जो सवाल किया और उसका जो जवाब मंत्री जी ने दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि वे मुझे अपने जवाब से संतुष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान) Sir, I am very sorry. I seek your

protection. I am not satisfied with the reply.

Mr. Speaker: Mr. Indora, the satisfaction of the people is required but your satisfaction is not required.

Dr. Sushil Indora: Sir, I am the representative of the people.

Mr. Speaker: You will not be satisfied that is another point.

Shri Surinder Singh: With your permission, I want to make it clear that so far as the amount of compensation is concerned, district-wise I can narrate.

Sirsa: The total amount given for the damage in February is Rs. 8,91,215/-.

Fatehabad: The total amount given for the damage is Rs. 1,58,13,715/-.

This is a list in fact and this is updated. I do not know what are the norms under which you can be satisfied. If I would have visualized, there are some other problems or you have named certain villages in the districts. These are the villages where Girdawaris have not been done. (Interruption).

Mr. Speaker: This is not the way. Now the matter is over.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि अब काल अटैशन मोशन पर चर्चा हो रही है। यह प्रश्नकाल नहीं है। जिस

हिसाब से ये सवाल पूछ रहे हैं वह ठीक नहीं है। मंत्री जी ने जो मुआवजा हमारी सरकार ने किसानों को दिया है, उसके बारे में बताया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे नाम की भी चर्चा की। मैं इनको रिकार्ड के तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस दल से ये संबंध रखते हैं उनकी सरकार के समय सूखा पड़ने पर 25-25, 30-30 पैसे किसानों को मुआवजे के रूप में दिए जाते थे। इतना भद्दा मजाक इनकी सरकार के समय में किसानों के साथ किया जाता था। पिछले पांच साल का रिकार्ड मेरे पास है कि इनकी सरकार के समय में नैचुरल कैमेटिज यानी बाढ़, ओलावृष्टि सूखा पड़ने पर किसानों को टोटल कितना मुआवजा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के लिए पिछले पांच साल में टोटल 1.55 करोड़ रुपये, सूखे के लिये 6.65 करोड़ रुपये, बाढ़ प्रभावितों को 8.87 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया गया था। कुल मिलाकर इनकी सरकार के समय में 17.07 करोड़ रुपये का मुआवजा पिछले पांच सालों में किसानों को दिया गया और हमारी सरकार ने आने के बाद इस थोड़े से समय में ही केवल ओलावृष्टि के लिए टोटल 49 करोड़ रुपये से ऊपर मुआवजा किसानों को दिया है। अभी स्पेशल गिरदावरी आनी है इसलिए यह राशि 50 करोड़ रुपये से ऊपर जायेगी। स्पेशल गिरदावरी के आदेश हमने दिये हुए हैं।

डा० सुशील इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: इंदौरा जी, प्लीज आप बैठे। इसमें डायट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आज से पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश के किसानों को ओलावृष्टि के लिए इतना अधिक मुआवजा नहीं मिला। पिछली सरकार के समय में 17 करोड़ रुपये सभी नैचुरल क्लेमिटिज के दिए गये थे। हमारी सरकार ने फरवरी में जो ओले पड़े थे उसको भी इनहास करके मुआवजा दिया है और अब तक किसी की शिकायत भी नहीं आई है जबकि पहले वाली सरकार के समय में 25-25 मुआवजे के दिए जाते थे। (विधान)

डा० सुशील इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

Dr. Sita Ram: Sir * * * * * (Interruptions)

Mr. Speaker: No. No. I say no. This is going out of the proportionate. I won't permit it. This is not the way. I am very sorry to say this is a wrong procedure. Nothing to be recorded. I won't permit the wrong procedure. I am here to protect the interests of the members of the opposition and treasuries too but I won't allow the wrong procedure. (Interruptions) No. No. this is a wrong procedure.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा, डाक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी संसद में भी रहे हैं और

अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जब खड़े होते हैं तो विपक्ष को उनकी बात सुननी चाहिए न कि बीच में खड़े होकर उनके साथ टोका-टाकी करे। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पिछले पांच साल के आकड़े सदन के सामने रख रहे हैं और विपक्षी साथी सुन नहीं रहे। उन्हें पीडा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो सच्ची बात होती है उससे पीडा तो होती ही है। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि अब वे सत्ता में नहीं हैं विपक्ष में बैठे हैं सुनने की आदत डालें। मैं इंदौरा जी को कहना चाहूंगा कि आप अपने सदस्यों को समझाये कि जब सदन के नेता खड़े हों तो उनकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इस बात की आप इनको ट्रेनिंग दे और ओरिएंटेशन कैंप भी लगाये कि सदन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is -

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

विधान कार्य—

(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Prof. Chhatter Pal Singh (Ghirai): Speaker Sir, Thank you for giving me an opportunity to speak on the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2005. अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का मुखिया चीफ मिनिस्टर जब अपने वित्त मंत्री जी के माध्यम से हरियाणा में हरियाणा सरकार को चलाने के लिए और लोगों के फायदे के लिए यह देखता है कि आमदनी के जरिए कौन कौन से हैं और आमदनी के बावजूद हमारे पास कौन कौन से एरियाज पब्लिक इन्ड्रैस्ट के ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें तरक्की और विकास के ऊपर लेकर के जाना चाहिए। मुझे आज खुशी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और सदन में

काम चलने लग रहा है वह वाकई बहुत सराहनीय काम है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनते ही पूरे हरियाणा प्रान्त को एक क्लीयर मैसेज दिया कि अब तक का यहां पर जो मैनेजर था, यहां के मुख्यमंत्री के रूप में, वह एक स्वयं के सेवक के रूप में था। लेकिन अब हम तीन दिन से इस मौजूदा सरकार का काम देख रहे हैं। पिछले 5 साल जिस तरीके से हमने उनको बतौर मैनेजर काम करते देखा उससे लगा कि सैल्फ इन्ट्रैस्ट के लिए टोटल रवैन्यू का इस्तेमाल किया गया। अध्यक्ष महोदय, अब जो यह एप्रोप्रिएशन बिल आप आज पास करवाने जा रहे हैं मुझे इस बारे में कुछ कहना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च को मैं देख रहा था, जिसको आप अब पास करवाने जा रहे हैं। इसके अन्दर एडवोकेट्स को भारी भरकम अदायगी की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय फाईनैस मिनिस्टर महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या वे हमें बताएंगे कि कौन कौन से मुकदमे थे जो सरकार की अनियमितता की वजह से हुए और पीड़ित लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तथा जिनको डिफैण्ड करने के लिए हरियाणा सरकार के लोग उस पैसे को वकीलों को देकर जाया करते रहे? अपने गलत कामों को डिफैण्ड करने के लिए सरकार द्वारा यह पैसा खर्च किया गया है, ऐसी मेरी मान्यता है। पिछली सरकार के कार्य-कलापों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि वे ऐसे कौन-कौन से मुकदमों थे और वे क्या मामले थे जिनके बारे में हरियाणा सरकार ने एडवोकेट्स को भारी-भरकम फीस दी है वे सारे कैसेज यहा हाउस में बताए जाने चाहिए। अध्यक्ष

महोदय, हमारे साथी माननीय श्री नरेश यादव जी ने जिक्र किया था कि एक होस्पिटल मे एक्स-रे मशीन ही नहीं है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेटस की डिमाण्ड नं० 10 में लैप्रोस्कोपीज की मशीन की रिपेयर और मेंटिनैस के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हू कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में उस पैसे को उनके लोग मशीन को फर्जी खराब दिखा कर, फर्जी तौर पर मेंटिनैस तथा रिपेयर दिखा कर क्या वह पैसा अपने घर तो नहीं ले गए है ? इस प्रकार की आशका उनके आचरण से रही है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इस बात की पूरी जानकारी ले कर बताएं कि यह लैप्रोस्कोपी मशीन कहां पर है, यह विद्यमान है भी या नहीं और अगर है तो क्या वह खराब हुई भी थी या नहीं और यदि वह खराब हुई थी तो क्या अब वह वर्किंग कण्डीशन मे है या नहीं? यदि वह मशीन ठीक है तो इस पर हुए खर्च को पास करने की इजाजत देने में सदन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और यदि वह मशीन ठीक नहीं है तो मैं चाहूंगा कि हरियाणा सरकार आज इन मामलों की अनियमितता की जांच करवाएं और यदि कोई व्यक्ति इसमे दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री एस्टीमेटस की डिमांड नं० 25 के माध्यम से 20,99,90,000/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। In Supplementary Estimates presented before the Estimates Committee, it is mentioned—

"The State Government provides an interest free

loan in lieu of deferred sale tax to Industrial Entrepreneurs to facilitate them to seek the benefit of income tax relief under Section 43-B of Income Tax Act."

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय वित्त मन्त्री महोदय, ने यहां पर एप्रोप्रिएशन बिल पास करने के लिए रखने से पहले उन एण्टरप्रिन्योरज की जानकारी ली है कि वे कौन कौन से ऐसे इण्डस्ट्रियलिस्टस हैं, क्या यह इण्डस्ट्रीज कहीं पर अस्तित्व में भी हैं या नहीं? क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस से हम समझ सकते हैं कि वहां पर ग्राउण्ड पर फील्ड में कोई भी चीज नहीं है कागजों के अन्दर ही हर चीज रही है और उससे पैसे का गबन कर लिया गया है और उस पैसे को खा लिया गया है या पर्सनल इन्ट्रस्ट में कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यह जो पैसा एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से सैंक्शन करने जा रहे हैं जो कि खर्च कर लिया गया है, की पूरी जानकारी लेकर उस पर एक इन्स्वायरी कंडक्ट करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेटस की डिमांड नं० 21 के माध्यम से 10.33 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है यह पैसा हरियाणा रूरल डिवैल्पमेंट फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा रूरल डिवैल्पमेंट वर्क्स पर खर्च किया गया है। हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा है और पहले भी यह बात चर्चा में आई है कि पंचायतों को उनके उस अधिकार से वंचित किया गया

था और अपने चहेतो की कमेटियां बनाई गई थीं जिससे वहां देहात में विकास की बात किया करते थे। माननीय श्री रणदीप सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं, नरवाना की कास्टीव्यूएंसी में किसी सरपंच ने कमेटी के मैम्बर के खिलाफ चीफ मिनिस्टर महोदय से शिकायत की कि आपकी कमेटी के लोग इतना पैसा जो गांव की डिवैल्पमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए आया था, वे पैसा खा गए हैं आप उसकी इन्स्वायरी करवाएं, तो मुख्य मन्त्री जी ने उनको वहां पर जवाब दिया था कि तू क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है तुझे कितने रुपये चाहिए हैं तू उसकी बात कर। सो इस किस्म का ऐटिच्यूट उस समय के मुख्यमंत्री का था। जब ऐसा ऐटिच्यूट उस समय हरियाणा के मुखिया का रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने हरियाणा के किसानों की, कर्मचारियों की या मजदूरों की खून-पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है। व्यापारियों पर और दुकानदारों पर भारी भारी टैक्स लादकर उस वक्त के फाईनांस मिनिस्टर ओर मुख्यमंत्री ने बहुत रैवेन्यू कुलैक्ट किया था। उन्होंने उस पैसे को अपने चहेतो के माध्यम से कागजों में शो करके रूरल डिवैल्पमेंट फंड के नाम पर खा लिया है। अध्यक्ष महोदय, यह पैसा तो जा चुका है लेकिन वह पैसा सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में हमारा तजुर्बा यह कहता है कि उनकी जो पास्ट प्रैक्टिस रही है और उनकी जो कारगुजारियां रही हैं उससे यही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि सदन में यह जो बिल लाया गया है उसको पास

करके उसके माध्यम से उनकी इन्क्वायरी करवाई जानी चाहिए। आज की हरियाणा सरकार को हरियाणा की जनता को इस विषय में इन्क्वायरी करके बताना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या कारगुजारियां की हैं? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान चन्द बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार की किसानों के प्रति जिस प्रकार की प्रैक्टिस रही है उससे हटकर किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो कि इस सरकार की प्राथमिकता भी है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए कुछ घोषणाएं करके किसानों के प्रति अपना और —इस सरकार का रुझान भी दर्शाया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का आभार भी प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज सैचुरेशन ऑफ लैंड है और जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है जब कि लैंड होल्डिंग सेम है। आज हरियाणा में पानी की बड़ी भारी किल्लत है, दक्षिणी हरियाणा के साथी बोलते हुए त्राहि—त्राहि कर रहे हैं तथा वहां के लिए पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। आज हरियाणा में बिजली का भी अभाव है। आज हरियाणा में बिजली की इतनी चोरी हो रही है कि किसानों को बड़ी भारी मात्रा में बिजली न मिलने के कारण डीजल का प्रयोग करना पड़ता है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा में आज भी 80 प्रतिशत की आबादी किसानों की है। जब तक आप किसान के बेटे को ठीक दिशा नहीं देगे तब तक प्रदेश का ठीक तरीके से काम चलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 1991 से 1990 के बीच में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त मेरे पास तकनीकी शिक्षा का विभाग था। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त अपनी इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट को मिटआऊट करने के लिए हमने हरियाणा को बहुत ही शानदार स्कीम दी थी। इस स्कीम में यह था कि किसान का बेटा जो देहात के अन्दर रहता है उसको प्रोफेशनल एजुकेशन किस तरह से दी जाए। अध्यक्ष महोदय, जिनके पेरेन्ट्स एजुकेटिड हैं, साधन सम्पन्न हैं और उनके जो टीचर्स हैं वे भी बहुत एजुकेटिड होते हैं बहुत ही अच्छा गाइड करने वाले होते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन देहात के अन्दर किसान के घर में, मजदूर के घर में जो लड़का या लड़की होती है, उसको पेरेन्ट्स की गाइडैन्स इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, जितनी की साधन सम्पन्न लोगों के बच्चों को मिलती है। अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं हरियाणा के देहातो के स्कूलों में टीचर्स भी उन बच्चों को कैसी गाइडैन्स देने में सक्षम हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने 1991 – 1996 के वक्त में एक प्रोविजन किया था ताकि कम से कम देहात के स्कूलों को तो बैटर किया जा सके, ताकि देहात के बच्चे इंजीनियरिंग कालेजों में, पोलिटेक्निक कालेजों में और फार्मसिस्ट कालेजों में कम्पीटीशन देने के लिए तो तैयार हो सकें। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इण्डिया पोलिटेक्निक कालेज के लिए एक स्कीम चलाती थी जिसको हमने बहुत फेमस किया था और रूरल टैकनीकल एजुकेशन के नाम से हमने उसको विख्यात किया था। 22 के करीब सैन्टर्ज हरियाणा में हमने प्रशिक्षण के तौर पर चलाए

थे। अध्यक्ष महोदय, वे इतने कामयाब थे कि हर देहात के अन्दर एक सैन्टर खोल दिया था और उसमें उसी देहात के बच्चे सीधे एडमिशन लेते थे in spite of facing the central competitive इस तरह से हमने देहात के बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देने का तरीका निकाला था ताकि हम मेरिट को भी वायलेट न करें और उन बच्चों की मुश्किलों का समाधान भी कर सकें। अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम को पिछली सरकार ने ठप्प कर दिया था। उस वक्त हमने टैक्नीकल एजुकेशन में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बहुत सुधार किया था क्योंकि यह हमारी फर्स्ट प्राथमिकता थी तथा इसकी वजह से हमने इनटेक को 3800 से बढ़ाकर 38,000 कर दिया था। दक्षिणी भारत में हमारे हरियाणा के बच्चे टैक्नीकल एजुकेशन लेने के लिए जाते थे और वहां पर बच्चों के मां-बाप को एक बच्चे के लिए 25-30 लाख रुपए डोनेशन पर खर्च करने पड़ते थे। डोनेशन देकर वह दाखिला लेते थे और फिर पढ़कर वापस आते थे। स्पीकर सर, अगर आज हरियाणा के अंदर बहुत भारी अच्छा इन्टेक है ओर क्वालिटेटिवली अच्छी टैक्नीकल एजुकेशन है तो that was because of our Government. हालांकि पिछली सरकार की जो प्रायोरिटी थी वह सैल्फ सटैंड थी, अपनी कमाई की थी इसलिए इन चीजों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि आने वाले बजट में इन सभी प्रायोरिटीज को दिमाग में रखकर आप इनका अपने बजट में प्रावधान करें ताकि हम देहात के बच्चों को रोजगार

की तरफ लें जा सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

Shri S.S. Surjewata (Kaithal): Speaker Sir, I want to speak on Haryana Appropriation Bill No. 1. Mr. Speaker Sir, the Government and Finance Minister want that we should pass the expenditure incurred by the previous Government during these months upto 31st March, 2005. Let us have a look how the previous Government was functioning. Mr. Speaker, Shri Om Prakash Chautala used to harp on the development of Haryana. He used to boast day in and day out. Actually, I want to illustrate a picture of only one District Headquarter before you and I know that it is applicable to other Districts. It is similar to all the District Headquarters in Haryana. Kaithal, which has been the target of Haryana C.M's. ire. There was a spate of murders. Ransom was being demanded. The jails had become the den of crime. Criminals used to ask for ransom from the jails and they were given protection by the previous Government. Many murders were taken place; many people were looted not only by the criminals but also by the Government headed by Shri Om Prakash Chautala. In this district, situation of the development is that the hospital is running in a building, which is in a dilapidated conditions. No patient can go to the hospital. Even the relatives of the patients who go for the welfare of the patients, they also fall sick. It is very old building and in a very bad condition. There are no equipments in the hospital. Even there are no specialist doctor. No specialist doctors are being posted there. So, I want that the present Government to construct a multi facility hospital at the District Headquarter which can

benefit the neighbouring areas. Speaker Sir, your area is adjacent to my area. It can also take some benefit of that. It is very important thing because a District Headquarter having practically no hospital and this building can fall at any time and even the equipments are not there. I mean, it is not fully equipped. Similarly, Kaithal is the only district particularity in Haryana which did not have technical or any other Government institution. Last Government had neglected it very badly. So, I would request that the present Government should open a technical institute there, so that bright students can have college education and they can go to the Multi National Companies and other companies. Similarly, there is mushroom growth of unauthorized colonies in Kaithal. Lot of village artisans and poor people are floating to the town in search of employment and there are no facilities for these people. Previous Government and the Chief Minister himself has encouraged the unathorized colonies and they sold the land without having developed. There are no roads, no water supply. There is no electricity. There is no drainage system. Such was the condition of the town. It is only stinking. Poor people are suffering there. My suggestion to the present Government is that whosoever has sold the land and whosoever has exploited the poor people, those should be punished. Those who could not purchase the plots in H.U.D.A., they choose to purchase the cheap land in the periphery of the town. The entire money for the development of such unauthrized colonies should be charged from the persons, who have sold the land to the innocent poor people. Many of them are very well known people, who have sold the land and their pocket is very fat. The poor people have been exploited. This is the only solution because I know the Local

Bodies will not be able to do it. The last Government's purpose was to collect money, to make money and to let people suffer. Similarly, Mr. Speaker Sir, I would like to tell that in villages, in the name of social development and in the name of other developments, Shri Om Parkash Chautala had given grants only from the Panchayat funds for the construction of Chaardiwari and cremation ground. I am very sorry to say that for easing out the ladies, sick people, old aged people and other people, there are no latrines. Yesterday, while speaking on the Governor's Address, I said that 82% of the houses in the country have no facility of latrines or bathrooms. So, there is dire need of it everywhere, not only in my district but also in the entire Haryana. In every village, there is a need of 7 feet high boundry and these should be contracted in the peripheries of the Mohallas of the areas of the poor people. These should be constructed especially in the areas, where ladies can ease there. They cannot go out in the sunlight. They have to wait till the sun sets and night falls. During the whole day, even the old aged people, the sick people, the ladies and other people, they cannot go to easing. There is no place in the villages now. So, it is very important. Further, there is no water supply. There are no facilities for drinking water in the Mohallas of the poor people. Especially, the ladies are suffering because they have to travel long for fetching the water. So, my submission is that the last Goverment neither did anything for the development of villages nor for the towns. I hope, the present Government with the Congress Party's manifesto and the Congress Party's promises, will take up the social causes, social programmes for the poor people, downtrodden people and for the needy people.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले यह प्रोमिस किया था कि जितने इम्प्लौयी चौटाला सरकार ने निकाले हैं चाहे वे पुलिस के हैं, चाहे वे पटवारी हैं, चाहे वे एम०आई०टी०सी० के हैं, चाहे वे कानकास्ट के हैं या चाहे वे कानफैड के हैं उनको नौकरी में वापस ले लिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि अब सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों के घरों में चूल्हे जल जाएं। यह पहला सैशन है, अच्छा माहौल है इसमें सरकार को अपना यह वादा पूरा करना चाहिए और इस बारे में सरकार को फैसला करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में इस समय जितनी भी सी क्लास कमेटीज हैं उनमें इस समय नर्क का माहौल है इसलिए उनमें सीवरेज सिस्टम बहुत जरूरी कर देना चाहिए। जितने गांव हैं खासकर बागड़ लाइन को छोड़कर या महेन्द्रगढ़ भिवानी में तो फिर भी कुछ गड़बड़ कम है लेकिन हमारे यहां तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं चाहूंगा गांवों के चारों तरफ परमानेंट नाली बनाकर ड्रेनेज सिस्टम शुरू करना चाहिए। दूसरी कई ऐसी कांस्टीच्यूएंसि हैं जिनमें कालेज नहीं है और न कोई आई०टी०आई० है। जैसे मेरा नारनौंद हल्का है। इस तरह के कई कस्बे हैं। उनमें एक-एक कालेज और एक-एक आई०टी०आई० जरूर बनाना चाहिए। वहां पर इस समय रोडवेज की बसों का बुरा हाल है। सारी बसों में बच्चे ही बच्चे होते हैं। उससे न तो रोडवेज कोई कमाई कर पाती

है और न ही सवारियों को फायदा मिलता है। घर के घर तबाह हो गये हैं क्योंकि सारा दिन ट्रेवलिंग में ही चला जाता है। भी सुरजेवाला जी ने पहले दिन बोलते हुए कहा था कि गरीब लोगों के पास एक-एक कमरे के मकान हैं इसलिए गरीब, हरिजन ओर बैकवर्ड क्लासिज और कमजोर तबके के लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार को जमीन एक्वायर करनी चाहिए और जमीन एक्वायर करके उन गरीब लोगों को फ्री में देनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत ग्रांट देकर 40000 रुपये या 50000 रुपये बिना ब्याज के उनको लोन के रूप में देना चाहिए। उनके पास न तो जमीन है और न ही कोई दूसरा कारोबार है। हरियाणा में एक प्रॉब्लम यह भी है कि युवा पीढ़ी तबाही की तरफ जा रही है। इस समय हरियाणा में इम्प्लायमेंट की स्थिति बहुत खराब है। सरकार जो भी काम करे उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे इस समय सरकार की एक्साईज पॉलिसी है पहले चौटाला साहब ने हरियाणा की एक्साईज पॉलिसी को बिलकुल गड़बड़ कर रखा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद 20 जिलों में जिलावाइज कान्ट्रैक्टर बना दिए हैं। हरियाणा में 1600 के करीब दुकाने हैं अगर उनकी ओपन आमामान की जाए तो उनसे सरकार को भी बहुत रेवेन्यू मिलेगा और हर जगह पर 5-5 और 6-6 नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात एस०वाई०एल० के पानी के बारे में कल माननीय हुड्डा साहब ने बताई थी। मैं हुड्डा साहब को एक बात की बधाई देता हूँ हालांकि वे सदन में मौजूद नहीं हैं। वे एक ऐसे खानदान से हैं

जिनकी तीन पीढ़ियां फ्रीडम फाईटर रही हैं और दादा से लेकर वे खुद तक लड़ाई लड़ते रहे हैं और वे यहां पर भी लड़ाई छोटी नहीं लड़कर आये हैं। चौटाला साहब से और उनके पिता जी से भी अन्दर-बाहर की सारी लड़ाई लड़कर आये हैं बहुत स्ट्रगल के साथ वे मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए उनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे हरियाणा की 36 बिरादरी में बसने वाले लोगों को न्याय मिल सके। एस०वाई०एल० के बारे में कल जो उन्होंने अपने बचाव पक्ष में बात कही थी कि इस मुद्दे को वाजपेयी जी ने एक-डेढ़ साल तक ठण्डे बस्ते में रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 142 जुलाई, 2004 को पंजाब विधान सभा में सभी पार्टियों ने मिलकर पानी के सभी पिछले समझौतों को रह करने के बारे में एक बिल पास किया था। ये बी०जे०पी० के बारे में बात करते हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बी०जे०पी० ने उस समझौते की दफा उड़ के विरोध में सदन से वाक आउट कर दिया था और हरियाणा में जो हमारी बी०जे०पी० के 6 एम०एल०एज० थे उन सभी सदस्यों ने सदन की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। (विधान)

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I want to Speak on a point of order. (Interruptions)

Mr. Speaker: Gautam ji, Please have patience. The Minister is on his legs. Please listen to him.

Shri Birender Singh: Sir, I am here to straighten the record. Punjab BJP was totally in link with the other

parties including the Akali Dal to get that Bill passed in the Punjab Assembly. As my friend is saying that is entirely wrong. One more thing he said that the Punjab Assembly has passed a Bill on 12th July, 2004. In this regard I want to make it clear that the first decision of the Supreme Court came in about two years back i.e. on 15th January, 2003 and during that period Badal's Government was in Punjab, Chautala's Government in Haryana and Vajpayee ji was there in the Centre and in all the three Governments BJP was the partner of the Government and they were supporting the Government.

Mr. Speaker: Now, Mr. Gautam, you may continue.

Shri Dharam Pal Malik: With your permission Sir, I want to say that we are discussing about the Appropriation Bill No. 1 i.e. we are discussing about what has been spent. Mr. Gautam or some other members are not speaking to the relevant topic. They should speak relevant because we are discussing about the post budget expenditure. (Interruptions) You should speak relevant.

Mr. Speaker: Please take your seat. I am here to understand it.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस०वाई०एल० का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का डिसेजन 15 जनवरी, 2002 को आया था और उसमें इस कैनल को पूरा करने के लिए एक साल तक का समय दिया गया था लेकिन 15

जनवरी, 2003 तक न तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया और न ही सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, यह बात आ चुकी है।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब में उन्होंने बिल पास किया उसके बाद हरियाणा में बी०जे०पी० के ०इ एम०एल०एज० ने इस्तीफे दे दिए थे हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय आडवानी जी को मनमोहन सिंह जी खुद जाकर मिले। (विघन) उसके बाद रोज व्यान आए कि भजनलाल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य 72 घण्टे में इस्तीफा देंगे लेकिन कहीं कोई इस्तीफा नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन उसके बाद में उगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। ये फालतू किस्म की बातें कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Capt. Sahib, these facts are very common. Everybody knows it. Please take your seat. (Interruption)

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। हरियाणा के इंट्रैस्ट को वाच करने के लिए हम सारी पार्टियां दोबारा नए सिरे से पंजाब में जो पानी के समझौतों को रह करने का बिल पास हुआ है, उसको

निरस्त करवाए और उसकी बुराई करें। कम से कम हम आपस में यह कहने की बजाय कि तूने यह नहीं किया तूने वह नहीं किया, एक जगह खड़े हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (विघ्न)

Mr. Speaker: Alright, your time is going to be over.

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। अध्यक्ष महोदय, इस समय गांव में बिजली की हालत इतनी बुरी है कि सारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। (विघ्न) मेरा यह कहना है कि पिछली ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने एक दो पोलिसियां बनाई थीं लेकिन वे बड़ी वाहियात पोलिसियां थीं उस समय अगर 2 एकड़ जमीन पर भी किसी ने ट्यूबवैल का कनेक्शन लेने के लिए खम्मा लगवाना होता था तो गरीब आदमी 50 हजार या एक लाख रुपये लगाकर तबाह हो जाता था। मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान को ट्यूबवैल के कनेक्शन की जरूरत है इसलिए उसको बहुत ही नोमिनल चार्ज पर ट्यूबवैल का कनेक्शन दिलवाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इस सरकार में सारे बढ़िया काम होंगे, धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड (हांसी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज वित्त मंत्री जी ने काम चलाने के लिए बिल पेश किया है, बिल तो पास होना चाहिए काम तभी चलेगा। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। इन्होंने हैल्थ के बारे में, सड़कों के बारे में और कई मदों के बारे

में पैसा मांगा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जो बैठे नहीं हैं और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि हेल्थ के बारे में सरकार को कोई प्रावधान करने चाहिए क्योंकि आज हरियाणा में गरीब आदमी बगैर इलाज के तड़प तड़प कर मर जाता है, गरीब आदमी जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, उनकी कोई जायदाद नहीं है, उनका फ्री इलाज करवाने का सरकार को प्रावधान करना चाहिए। बीमारी को रोकने के लिए अस्पतालों में दवाईयां नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार सबसे ज्यादा ध्यान सफाई की तरफ दे क्योंकि गांव में, शहर में, गलियों और सड़कों पर इतनी गंदगी होती है जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैलती हैं इसलिए सफाई का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। अगर सफाई होगी तो मैं समझता हूँ कि आधी बीमारी वैसे ही कट जाएगी क्योंकि अच्छी आबो हवा लोगों को मिलेगी और अच्छी आबो हवा से हीं सेहत बनती है। ज्यादातर गरीब बस्तियों में हम देखते हैं कि वहां गंदगी होती है और इतनी बदबू होती है कि आदमी का वहां से निकलना दूभर हो जाता है लेकिन वे लोग वहीं रहते हैं और वहीं सोते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए सबसे ज्यादा प्रबन्ध करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। पिछली सरकार ने सड़कों पर बहुत पैसा खर्च किया और करोड़ों अरबों रुपये का खर्च दिखाया लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरी। (विध्वन) मैं बिलकुल सही बात कह रहा हूँ। पिछली सरकार के

समय मे गांवो में करोड़ों रुपये दिये गये बताये जाते हैं। जब हम गांव वालों से पूछते हैं तो वे कहते है कि हमारे यहां तो एक पैसा भी नहीं आया। वह पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। में तो यहां तक कहता हूं कि इस बारे मे एक आयोग बनाकर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष अब इण्डियन नैशनल लोक दल पार्टी का कोई भी एक सदस्य बोल सकता है।

श्री नरेश यादव: अध्यक्ष महोदय, हम दस निर्दलीय विधायक हैं। हमें भी तो बोलने के लिए समय दिया जाये। लोकदल के तीन सदस्य बोल चुके हैं।

Mr. Speaker: You will also get the opportunity. Mr. Indora, please speak in brief.

डा० सुशील इंदौरा (एस०सी०, ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एप्रोप्रिएशन बिल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि मैं कोई सुझाव दूंगा तो सरकार हमारी बात नहीं मानेगी लेकिन सत्तापक्ष के भाईयों से एक बात मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि अपने बजट अभिभाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने वायदा किया है और कहा है कि All Universities in Haryana would be made centres of excellence. मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सिरसा पिछडा हुआ एरिया है। वहाँ पर हमारी सरकार ने चौधरी देवी लाल जी के नाम

पर एक यूनिवर्सिटी बनाई है। (शोर एवं व्यवधान) वहा पर गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। जिन कालेजों को उस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया था उनका कल्चर, भाषा और संस्कृति उस हिसाब से मेल खाती है। पता नहीं क्या कारण रहे, पहले लोक सभा के चुनाव आ गये फिर विधान सभा के चुनाव आ गये और आचार संहिता लग गई। हो सकता है उसमे कुछ कमी रही होगी लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि उस यूनिवर्सिटी से कालेजों को अलग नहीं करना चाहिए था बल्कि कमियों को दूर करते और उन लोगों की भावनाओं की कदर करते ताकि वहां के लोग सरकार की प्रशंसा करते। (विधान) अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सरकार वायदा कर रही है कि भय और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन सरकार देगी लगता है कि पूरी पारदर्शिता सरकार करेगी। वित्तमंत्री जी ने जो ये बातें लिखित में दी हुई हैं क्या इन पर ये कायम रहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मंशा आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। हम पिछले दो दिन से देख रहे हैं। सरकार कहती है (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर,..... (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी हुई है और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये मुझे टोंटिंग कर रहे थे। मैं इनको कहना चाहूंगा कि संसदीय प्रणाली

की कुछ परम्पराएं होती हैं। इस हाउस की भी कुछ परम्पराएं हैं उनका इनको पालन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूँ और आपसे हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाये।

श्री अध्यक्ष: इंदौरा जी, आपका समय पूरा हो गया है, प्लीज, अब आप बैठें 1

श्री नरेश यादव (अटेली): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन में रखा है उसमें खर्ची को चलाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी हमारे इलाके में पानी की भयकर समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एस०वाई०एल० का काम जल्दी ही पूरा होगा और पानी आयेगा तथा जो पानी इस समय हमारे प्रदेश में है उसका समान वितरण होगा। हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। मुझे चिंता इस बात की है कि जो पानी आयेगा राह गांवों और खेतों तक कैसे पहुंचेगा क्योंकि सारी नहरें और छोटे नाले अट्ट पड़े हैं। पिछले 5 – 10 साल से किसी सरकार ने वहां पर नहरों की सफाई आदि पर कोई काम नहीं किया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी वहां पर इस समय पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। मई-जून तक बजट सेशन आने वाला नहीं है इसलिए इस मद के लिए बजट का भी कोई प्रावधान नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि जो भी पैसा हमारी वहां की नहरों को

ठीक करने के लिए है वह वहां पर लगाया जाये क्योंकि पानी की बड़ी भारी परेशानी हमारे इलाके में आने वाली है। ट्यूबवैल्ज की बोरिंग के लिए और नदियों में पानी डालने के लिए सरकार वहां पर व्यवस्था करे। हमारे वहां पर आने वाले 2-3 महीनों में एक तरह से नैचुरल कैलेमिटीज जैसे हालात हो जाते हैं। वहां पर आने वाले तीन महीनों में बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए समय रहते हुए बजट का प्रावधान हो। हमारे एरिया में नहरों की सफाई हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वहां की नहरों को ठीक करने का काम किया जाये ताकि वहां पर काम की शुरुआत हो सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे एरियाज में रोजगार के मामले में भी हमें बड़ी दिक्कत है। अभी यहाँ पर पिछली सरकार का रोना रोया जा रहा था। मैंने कल भी बोला था और आज भी बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे इलाके के पहाड हैं और जितनी भी नदियों की बजरी लीज पर दी हुई है उन सभी लीज को कैंसिल किया जाये और जो सही आदमी हैं उनको ही वे लीज दी जाएं या इन्हें गवर्नमेंट अपने अण्डर ले क्योंकि उनकी पूरी गुण्डागद्दी आज भी वहां पर है। मैं चाहता हूँ कि तुरन्त प्रभाव से इसे रोका जाये। वहां पर जितने भी टैण्डर छूटे हुए हैं उन पर पहले के लोग ही बैठे हुए हैं और वे लीज भी उन्हीं के पास हैं और वही गुण्डागद्दी चारों तरफ है इसलिए इसको तुरन्त रोका जाये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन लीज की तुरन्त नए सिरे से ऑक्शन हो। चाहे गवर्नमेंट इसे किसी को भी दे लेकिन इसकी पॉलिसी गवर्नमेंट को

तुरन्त निर्धारित करनी चाहिए ताकि सही आदमियों के हाथों में ये लीज जा सकें और सरकार को अधिक रैवेन्यू मिल सके ।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा का गुड़गांव जिला तो दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है जबकि महेन्द्रगढ़ से लेकर भिवानी तक का जो यह हमारा दक्षिणी हरियाणा का झज्जर तक का इलाका है इसके बीच में वहां पर कोई अस्पताल नहीं है । मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक आधुनिक अस्पताल बहुत जल्दी बनाया जाये क्योंकि हमारे एरिया के लोग जब बीमार होते हैं तो हम या तो जयपुर मे जाते हैं या रोहतक में आते हैं या एम्ज, नई दिल्ली में जाते हैं । लेकिन वहां पर भी हमे कोई भती नहीं करता क्योंकि वहा पर इतनी भीड हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है । इस अस्पताल के बनाये जाने से राजस्थान के भी कुछ जिले जुड़ जाएंगे जिससे उनको भी फायदा हो सकेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि दक्षिण हरियाणा के ब्रीच मे कोई आधुनिक अस्पताल जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि लोगो को सुविधा हो सके । इसी के साथ— साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जानी चाहिए । स्पीकर साहब, सुशील कुमार इन्दौरा जी अभी बोलते हुए सिरसा यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे थे । सुशील भाई जी कह रहे थे कि हमारे इलाके के कालेजिज को सिरसा यूनिवर्सिटी के साथ ही रहने दिया जाये । इस बारे मे मेरा सरकार से निवेदन है कि नारनौल और अटेली के बीच मे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाये

और सिरसा के भाईयो को यानि वहां के कालेजिज को उस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिया जाये, तब इनको पता लगेगा कि क्या दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ मेरी एक मांग और है कि स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव जल्दी से करवा दिए जाएं क्योंकि फिर स्टूडेंट्स अपने आप निपट लेगे।

Mr. Speaker: Please try to wind up.

श्री नरेश यादव: स्पीकर साहब, गुड़गांव के अन्दर जितनी भी इन्टरनेशनल कम्पनीज हैं और वहां पर जितनी भी फैक्ट्रीज लगनी हैं सरकार उनको बहुत सी सुविधाएं देकर लाई है, मेरी इस सदन के द्वारा सरकार से मांग है कि हमारे इलाके में पानी भी नहीं है और हमारे पहाड़ों के ऊपर भी बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है। जब भी हम रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो हमें कोई धुसने नहीं देता जबकि हमें वहां पर ०० परसेंट नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ अवश्य ध्यान दें और कम्पनीज व फैक्ट्रीज वालों को निर्देश दें कि 80 परसेन्ट रोजगार दक्षिणी हरियाणा के लोगों को वहां पर मिले।

Mr. Speaker: Thank you very much. Please take your seat.

श्री नरेश यादव: स्पीकर साहब, मैं एक दो मिनट और लेना चाहूंगा।

Mr. Speaker: No. No. I am sorry. The time has

already been given to you.

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते हुए सुशील कुमार इन्दौरा जी सिरसा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया कि आज कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करता। हमारे यहां पर अध्यापक खुश नहीं, बच्चे खुश नहीं और पेरेंट्स खुश नहीं। अब हमें उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। अगर आप किसी देश को उन्नति के स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए और हर आदमी शिक्षित होना चाहिए लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली सरकार ने ऐसे-ऐसे निर्णय लिए जिससे शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे चला गया। यहां पर चर्चा चल रही थी कि सूखा पड़ गया और सूखे का केस पिछली सरकार ने सेंटर को भी नहीं भेजा। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में पानी आ गया था जिस कारण हमारा इलाका डूब गया लेकिन उसका कम्पनसेशन लेने के लिए भी पिछली सरकार ने केस भारत सरकार को नहीं भेजा। पिछली सरकार चारों तरफ झूठ और लूट की ही बात करती रही। चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे वाईस चांसलर ने खुद लिख कर भेजा कि इन कॉलेजिज को डि-एफिलियेट कर दिया जाये, लेकिन वह बात भी नहीं मानी गई। वाईस चांसलर ने खुद लिख कर भेजा कि इन कॉलेजिज को डि-एफिलियेट कर दिया जाए क्योंकि सिरसा यूनिवर्सिटी में कोई वी०सी० नहीं, कोई

रजिस्ट्रार नहीं, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं। स्पीकर सर, आप हैरान होंगे कि कोई भी अनइवर्सिटी बनाने से पहले ऐसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएशन लेनी पड़ती है लेकिन वह ऐफिलिएशन आज तक नहीं ली गई। सारी यूनिवर्सिटी में केवल 26 आदमियों का स्टाफ है। स्पीकर सर, 26 आदमियों का स्टाफ तो एक स्कूल का होता है तो वह यूनिवर्सिटी कैसे चले ? अध्यक्ष महोदय, हमे बच्चों के भविष्य को देखना है और सरकार दृढ़ संकल्प है कि हमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। धन्यवाद।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक मिनट बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। (विधन) अध्यक्ष महोदय, कल मेरा एक बेरोजगारी का मुद्दा बीच में रह गया था मैं आपके माध्यम से दोबारा माननीय वित्त मन्त्री जी से आश्वासन लेना चाहती हूँ। पिछली सरकार की बदनीयती और भाई-भतीजावाद की नीति से हमारी सरकार के कुछ कर्मचारी चाहे वे पुलिस डिपार्टमेंट के थे या दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया था और वे लोग कोर्ट्स में गए। पिछली सरकार उनके केशों की ढंग से पैरवी नहीं कर पाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो 1600 कर्मचारी थे या दूसरे महकमे जैसे एच०एस०आई०डी०सी० तथा एम०आई०टी०सी० के कर्मचारी थे जिन को नौकरियों में से निकाला गया था उन्हें ऐडजस्ट किया

जाए। माननीय वित्त मन्त्री जी अपने बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करे कि उनका कुछ समाधान निकल सके क्योंकि वे लोग आज बर्बादी की कगार पर हैं और उनके परिवार बिखरे पड़े हैं। बड़े अच्छे घरों की लड़कियां जो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों से ब्याही गई थीं, आज उनको डण्डे खाने पड़ रहे हैं और वे बेचारे लान्ज में बैठे हुए हैं। आप स्वयं आकर देख सकते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पुनः यह गुजारिश करती हूँ कि इन लोगों के लिए वे अपने बजट में जरूर कुछ प्रावधान करने की मेहरबानी करे। वे कर्मचारी जिनकी छंटनी कर दी गई है उनके केसिज की ठीक ढंग से पेरवी नहीं हो पाई थी क्या सरकार उनको सेवा में वापिस लेने का कोई प्रावधान करेगी ? (विघ्न) माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरा दूसरा प्वायंट यह रह गया था कि बिजली के जो पोल्ट हैं जो कुओ पर एक ट्यूबवैल से दूसरे ट्यूबवैल पर कनेक्शन के लिए 2000 मीटर की दूरी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय पावर मिनिस्टर महोदय से गुजारिश करना चाहती हूँ कि दो हजार मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कुछ बढ़ाया जाए। कई केसिज में ऐसा होता है कि पहले की जो बनी हुई कोठडिया हैं उनसे कुओं की कुछेक मीटरज की दूरी हो जाती है। कई बार 1700— 1800 या 1900 मीटरज की दूरी होती है उस पर हमारे अधिकारी बिजली का कनेक्शन देने से मना कर देते हैं। आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि इसमें कुछ रिलीफ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने सभी माननीय साथियों की बातों को सुना है आज मुझे इस बात का गर्व है कि आदरणीय स्पीकर साहब की मेहरबानी की वजह से आदरणीय माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की मेहरबानी से सही अर्थों में लोकतन्त्र बहाल हुआ है। पहले तो हालत यह थी कि विपक्ष के किसी सदस्य को एक मिनट के लिए मो बोलने नहीं दिया जाता था लेकिन आज आदरणीय स्पीकर साहब ने खुले मन से ओफर दी है कि कोई भी साथी बोलना चाहता है तो बोले और कोई अच्छे सुझाव देना चाहे तो वह दे सकता है।

श्री अध्यक्ष: फौजी साहब, आप प्यांयट पर बोलें और जो बात आप कहना चाहते हैं वह कह लें क्योंकि आपका बोलने का समय लिमिटेड है।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्यांयट पर भी बोलूंगा लेकिन हमने पिछली सरकार की हथकड़ियां भी देखी हुई हैं उसके बारे में अपने साथियों को बताना हमारा फर्ज बनता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि पिछली सरकार के वक्त किसानों के ऊपर जो केस बनाए थे उनको उठा लिया है। मैं एक बात सदन में कहना चाहूंगा कि यहां पर किसी भी सदस्य को भय महसूस करने की जरूरत नहीं है आज यहा पर सभी को बोलने का मौका

मिलेगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एस०वाई०एल० के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने एस०वाई०एल० की नींव रखी थी और हमारे नेता आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी ने उसको हरियाणा में बनवाने का किया था। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार के रहते हुए हरियाणा को एस०वाई०एल० का पानी मिलकर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में हमें यहां पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। (विधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर गलत बात नहीं कहूंगा। (Interruptions)

Mr. Speaker: Please maintain discipline in the House.

श्री राम किशन फौजी: इसके अलावा हमारी सरकार ने फौजियों के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। हरियाणा सरकार ने फौजियों को जो शराब मिलिट्री कैंटीन में मिलती थी उस पर एक्साईज ड्यूटी कम करने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker: Please take your seat.

श्री राम किशन फौजी: स्पीकर सर, मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा और समय दे। स्पीकर सर, आज हरियाणा सरकार में किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और किसान के बेटे को ही कृषि मंत्री बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में हमारे बयानी खेड़ा हल्के में

सूखा पड़ा था तो वहां पर राहत के नाम पर किसान के साथ मजाक किया गया था। किसी को 5 पैसे, किसी को 10 पैसे और किसी को 25 पैसे की राहत दी गई थी। (शेम-शेम) इस तरह से पिछली सरकार ने वहां के किसानों की बेइज्जती की थी। लेकिन आज की हमारी सरकार ने जो किसानों की फसल तबाह हुई है उस फसल पर राहत देने की घोषणा की है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। (विघन) अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन में बिजली की बात कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में बिजली का जुगाडू खराब हो गया था और कहीं पर बिजली नहीं मिल पा रही थी। इस विषय में मेरा सरकार से एक निवेदन है कि गांवों में जब किसान की रोटी खाने का वक्त होता है उस वक्त जो बिजली जाती है वह न जाए। इसके अलावा जब बच्चों के पढ़ने का समय होता है, उस समय भी बिजली नहीं जानी चाहिए।

Mr. Speaker: Please take your seat. You have done well, Fauji Ji.

श्री राम किशन फौजी: स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में हम अपोजिशन में बैठते थे और हमें उस सरकार के वक्त में बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको यहां पर बोलने का मौका दिया जाएगा चाहे वे अपोजिशन का साथी हो या रूलिंग पार्टी का सदस्य हो। स्पीकर सर, मैं एक कोताही कर रहा हूँ लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो आफिसर

गैलरी मे आफिसर्ज बैटे हुए हैं उनको भी आर्डर दे कि वे भी सभी को बराबर नजर से देखें। अगर कोई एम०एल०ए० जनता के काम के लिए और गांव की भलाई के लिए किसी काम को करवाने के लिए जाता है तो उसकी बात को सुना जाए। हम जनता के हित के ही काम को करवाने के लिए उनके पास जाते हैं और उनको वह काम करना चाहिए।

Mr. Speaker: Now, Mr. Sher Singh may speak.

आई०जी० श्री शेर सिंह (जुलाना): स्पीकर सर, आज हम उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लेकिन इसके रास्ते मे हमारी एक सबसे बड़ी समस्या जो है वह बढ़ती हुई आबादी है। हमारी

उन्नति के रास्ते मे बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा अंकुश है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से रोका जाए। आज जो गरीब आदमी है वह और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह और अमीर होता जा रहा है। गरीबी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि जो लोग गरीब है उनको हम शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर गरीब लोगों के आठ या दस बच्चें होंगे तो वे गरीब ही होते चले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे उनके लिए कितने ही प्रावधान कर लें, चाहे उनके लिए आप कितनी ही जमीन दे दें लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वे फिर भी गरीब ही रहेगे। अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना

चाहूंगा कि जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो बंगला देश के लोग फरीदाबाद या गुडगांव में आये हुए हैं और जिस तरीके से उनको राशन कार्ड दिए जा रहे हैं तथा जिस तरह से उनको अपना सिटीजन बनाया जा रहा है उसको चौक करने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो वह आगे क्या बढ़ेगा? अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के जुलाना के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे वित्त मंत्री जी मेरे हल्के के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि मेरा जुलाना हल्का जींद जिले में पड़ता है। यह हल्का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर शिक्षा नहीं है वहां कुछ नहीं है। मेरे हल्के में कोई भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। मेरी सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले बजट में हमारे यहां पर सरकारी कालेज खोलने का प्रावधान जरूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो नहरें हमारे हल्के में हैं उनका पानी कहीं और ही चलता है। पिछली सरकार के दौरान वहां पर एक रामकली माईनर बना था वह किस तरह से बना है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इस पर कितना पैसा लगा हुआ है यह हम ही जानते हैं लेकिन उसका पानी लोगों को बिलकुल भी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं इम्प्लायमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। जो पुलिस के लोग या दूसरे लोग नौकरी से निकाले गये हैं उनके बारे में मैं एक समाधान या सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब हम नागालैंड में, मिजोरम में या कहीं और टैरोरिस्ट को फोर्सिज में भती कर सकते हैं तो जो हमारे निकाले हुए पुलिस के

ट्रेड लोग हैं, जो पांच पांच साल की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन करके वहां पर नहीं तो दूसरी जगह पर ऐडजस्ट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम टैरोरिस्ट को फोर्सिज में भती कर सकते हैं तो इनको रिहैबिलिटेड करके भती करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि ये भी टैरोरिस्ट न बन जाएं ये भी कल को वही रास्ता अपना सकते हैं।

स्पीकर साहब, अब मैं पेंशन के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा अपने कर्मचारियों की मृत्यु पर जो उनको एक्स ग्रेशिया ग्रांट के रूप में ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। उसके बारे में मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिवाइज किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सिज का कोई लडका कोई जवान शहीद हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक धेला नहीं दिया जाता है मैं चाहूंगा कि उसको भी हरियाणा सरकार की तरफ से ढाई लाख रुपये मिलने चाहिए क्योंकि वह भी अपना ही बेटा है, वह भी वैसी ही वदी पहनता है, वह भी देश की सेवा करता है उसमें भी वही खून है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस मामले में इतनी डिसपैरिटी क्यों है इतना भेदभाव क्यों है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी सरकार गौर करे।

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will give

the reply.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Speaker Sir, on the debate on Haryana Appropriation Bill No. 1, which is regarding the Supplementary Estimates, Hon'ble Members have made very valuable suggestions and even they have talked about the Appropriation Bill which is on Vote on Account. But still I would like to make it clear some of the doubts of the Hon'ble Members. I have explained at length in my speech in the morning about the policies and programmes and the philosophy of my party and we would be able to reveal in the general budget which would be our thrust areas where we are going to make changes in the present pattern of budgeting. We would like to make it clear the promises which we have made to the people of Haryana and made in the last assembly elections and we made it clear in our manifesto also that Congress Party will not make any promise which we may not be in a position to fulfil. So, we have made our mind applied to find out the solutions of those problems which we can feel that we can sort it out and we can solve. Mr. Speaker Sir, in the last 5 and half years of Indian National Lok Dal regime, which was supported by the BJP, they have withdrawn their support only few months before the Parliament's election. They have played with the sentiments of the people of Haryana. They were not able to give this much sense to the common citizen that their lives are protected. The question mark was there with every citizen of the State whether we are safe in this atmosphere, whether we would be safe in the coming day. You know, that was the agony under which they were going. So, we made it clear that the Congress Government first would ensure the protection and safety of

every citizen of the State. Sir, in that direction, we would like to see that the economy of the State should get a boost in the regime of Congress Government. When, we can say that we are still making efforts and trying to achieve the top slot of the per capita income in our earnings and in our revenue collections and I have assured the members of the House in my speech that we are going in that direction. But it is only 10 and 15 days old Government. Prof. Chhatter Pal Singh has made certain objections regarding the Supplementary Estimates. He has talked about the heavy fees that were paid to the advocates. Actually, the procedure is that we are to get the bills and the requirement from the Chief Secretary office as to who were the advocates and they pleaded for whom. Whether they pleaded for the people those should not have been pleaded. So, this thing, we can check and find out. If, there are aberrations that the fees hefty, we can check it. I assure my hon'ble members that this is the question which can be reconsidered. He has also talked about Industries. Mr. Speaker Sir, about Rs. 20 crores which were deferred, I want to make it clear to my friends that when we attract industries through our industrial policy either we give exemption for sales tax and other taxes also or we defer these taxes for some time or 5 years. So, this deferment of 20 crores rupees is only a book entry. Ultimately, when we defer it to Industries Department that would be repaid and Utimately, it would be the part of that. There is no loss no gain as far as this Rs. 20 crores are concerned. He has also talked about that some of the industries may not be in existence. Mr. Speaker Sir, I want to clear that deferment is only possible when there is some production. Sales tax can be levied only when there is some sale. Sir, next thing that Mr. Shamsheer Singh Surjewala, our

senior leader, has talked about unauthorized colonies. Sir, there is a mushroom growth of not only of unauthorized colonies but in some of the cities and towns like Faridabad and Ballabgarh, there is a mushroom growth of unauthroized cluster of small huts. Sometimes when the Government takes a decision to remove those colonies, there is an agitation. But the basic thing is when these encroachments take place then there is no action. The officers who allow such encroachment to grow, they should be punished but they are never punished. When the Government takes a decision to remove these colonies then these officials and officers have other role. When the land was encroached upon, the officers were different. Later on some of them may be retired. They may not be in service. So, this requires a close monitoring on the part of H.U.D.A. and on the part of the Local Bodies, Municipal Committees and the responsible people should be dealt with immediately not at a time when 10 years or 15 years have passed. Whenever the unauthorized colonies start coming up, immediate action should be taken only then we can find a solution. Haryana is a State, where we should not think of providing facilities to unauthorized colonies. If we have full infrastructure like H.U.D.A. and if they have projection of 5, 10 or 15 years of future then there cannot be any unauthorized colony. When H.U.D.A. comes out with a plan, they reserve 10% for the weaker sections or Scheduled Castes But unfortunately if you go throgh the record of the HUDA they may be in the name of Scheduled Castes but ultimately they are not living there. These norms should be followed strictly and in my personal opinion, the colonies, which are set up by private colonizer, may be by H.U.D.A., we must have atleast a reasonable percentage of weaker sections of society.

We must ensure that such plots or such flats be allotted only to the really needy people, otherwise, they will not find any place in such colonies, which are developed colonies. It is the only way by which the mushroom of such unauthorized colonies can be controlled. So, these things are to be seen from a very close range so that we can find out a tangible solution for such problems. We have talked about the unhygienic conditions in those colonies. Naturally when there would be such developments, the conditions are bound to be unhygienic. In villages, as Mr. Surjewala has explained at length that development grant in the villages have been misappropriated. He has also talked about the providing of latrines for the weaker sections of the society because they have to go out. Sir, this is a priority item on our agenda. I assure the House that when we will come in the next Budget Session, we would come out with a comprehensive scheme of the village development. Our problem is that we give piecemeal grant for the development of the villages. My personal opinion is, if we are able to develop even 200 villages in one year that should be a composite development of the villages. Until piecemeal development continues, we would be wasting our State exchequer and result would come out. One member Mr. Amir Chand Makkar has talked about the roads or village streets and concrete streets. Sir, you would not believe, I do not know who were the contractors ? What was the policy of the Government ? Atleast we should held somebody responsible not contractor only. Those who were the master of the State, who were the custodian of the State revenues, should be asked what type of contractors they have engaged, what type of material you have supplied to them. This is a grave irregularity on the part of the politicians those who rule

the State. I assure the House that such things will not be allowed to happen in future. That is our determination.

आदरणीय गौतम साहब यहां बैठे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचार धारा से प्रेरित होकर उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में पंजाब कनी भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पर हमें यह कहकर आश्चर्य चकित कर दिया कि पंजाब को भारतीय जनता पार्टी ने तो बहिष्कार कर दिया था। कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो सबसे अहम बात एस०वाई०ए०ए० के बारे में कही थी जिसको हम शुरू से उठाकर चलते हैं कि पंजाब असेम्बली के उन समझौतों के। एब्रोगेट किया जाए, निरस्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू से ही इसकी खिलाफत की है और विरोध किया है चाहे क्यों न वहां कांग्रेस की सरकार हो लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लोगो ने मिलकर इन समझौतों को निरस्त करने की बात की है आज वही लोग कहते हैं कि यह मसल बातचीत के द्वारा हल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत तब होगी जब आप उस विधेयक को जो आपने पंजाब विधान सभा में पास किया है, को निरस्त करें। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा स्टैंड है। हम यह स्टैंड नहीं लेते कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे और हरियाणा में कुछ कह। 15 जनवरी, 2002 को जन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, जिसके पैरोकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी थे। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी जिसके

पैरोकार भी भाजपा के साथी थे और दिल्ली में NDA की सरकार थी जिसमें चौटाला साहब के लोकसभा के 5 सदस्य और अकाली दल के सदस्य उनकी मदद करते थे और जला इरीगेशन मिनिस्टर ने कहा कि डेढ़ साल तक इन सबने सुप्रीम कोर्ट के फसल को कामयाब करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक दिन भी पत्र व्यवहार नहीं किया। जबकि अब ये कहते हैं कि S.Y.L. से हम जुड़े हुए हैं और यह S.Y.L. हमारी जीवन रेखा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please have patience. Minister is on his legs. Please listen to him

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर, जब इनका यह नजर आने लगा कि असेम्बली की लाइफ 4-6 महीने बची है तब मगरमच्छ के आसू बहाने के लिए, शहीद बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 6 एम०एल०एज० एस०वाई०एल० के मुद्दे पर इस्तीफे देते हैं। मैं यह कहता हूँ इन 6 एम०एल०एज० को जिस दिन स्प्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस दिन प्राईम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने मरण व्रत पर बैठ जाना चाहिए था और उनको धमकी देनी चाहिए थी कि अगर एक साल के अन्दर तक यह काम नहीं हुआ तो हम 6 के 6 एम०एल०एज० शहीद हो जाएंगे, सैल्फ इमोलेशन करेंगे, आत्महत्या करेंगे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। (विध्न)

Mr. Speaker: Nothing is to be said.

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, वे 6 के 6 एम०एल०एज० हार गए हैं और कोई जीत कर नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: No. No. Mr. Naresh Kumar Malik, I won't permit you to speak. You are not sitting in the Panchayat. There is a system.

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरे साथी शिक्षा मंत्री जी ने इन्दौरा जी को सिरसा यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा स्पष्ट जबाव दिया है। हम उसमें एक बात ऐड करना चाहते हैं ताकिए लोगो में इस बात की भ्रान्ति न हो। देवीलाल के नाम से सिरसा की जो यूनिवर्सिटी बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य सेंटर आफ एक्सीलेंस था। जहां सेंटर आफ एक्सीलेन्सी के लिए यूनिवर्सिटी बनती हैं तो इन्दौर। जी आप पड़े लिखे हैं, डाक्टर हैं, और MBBS हैं आपको पता होना चाहिए कि वहां एफीलियेटिड कालेज नहीं होते। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार का जींद के कालेजों को सिरसा में मिलाने का निर्णय जो था वह कोई न्यायोचित निर्णय नहीं था क्योंकि जींद से सिरसा तक जाने के लिए नरवाना होकर आना पडता था। मेरे कहने का मतलब यह है हम उस यूनीवर्सिटी को यूनीवर्सिटी ही रखेंगे और उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायेंगे। जहां तक कालेजिज एफीलियेशन की बात थी, हमने विद्यार्थियों की भावनाओं के

मुताबिक उन कालेजिज को डि-एफिलियट करके उन यूनीवर्सिटीज के साथ लगाया जिनके साथ ने पहले जुड़े थे। भाई नरेश यादव जी ने साउथ हरियाणा की कैनाल्व की बात की कि वहां पर पिछले कई सालों से पानी न आने के कारण वहां की कैनालज अटी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन दफा चौधरी देवी लाल और उनके परिवार ने एस०वाई०एल० के नाम पर राजनाति करक सरकार बनाई लंकिन उनका योगदान एस०वाई०एल० को बनाने में एक प्रतिशत भी नहीं है। जिस दिन पंजाब असेम्बली ने सर्वसम्मति से एक्ट बनाकर हमारे समझौते को तोड़ा यदि उसी दिन चौटाला साहब की सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती तो अच्छा होता। लेकिन उन्होंने इसे अपनी जिम्मेवारी नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री जी से, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले और उन्हें बताया कि हमारे प्रदेश के साथ जुल्म हो रहा है और हमने राष्ट्रपति के जरिये उसको सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया। चौटाला साहब तो उस समय अपनी चुनावी रोटियां एस०वाई०एल० के नाम पर सेकते रहे और अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नरेश यादव जी द्वारा कही गयी एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में चर्चा की। मैं एक बात सारे सदन को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा। कल भी यह बात मैं कहना चाहता था कि साउथ हरियाणा के लिए कैप्टन साहब भी कई दफा यह मांग करते रहे

हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में दो ली नैशनल इन्स्पीच्यूट हैं और तीसरा ली इन्स्पीच्यूट जो हरियाणा में होगा, जिसके बारे में हमारी सरकार केन्द्र सरकार से बात कर चुकी है वह रिवाड़ी जिले के मीरपुर गांव में बनने जा रहा है।

श्री, बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय माई नरेश यादव जी कह रहे थे कि नहरों में पानी तो तब आयेगा जब उनकी सफाई होगी। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो यह तीन महीने का वोट आन एकाउंटस हम लेकर आये हैं उसमें वे सारी नहरें जिनमें पानी आने की संभावना है, वे सभी ड्रेने जिनमें बाढ़ आने की संभावना है, उनकी सफाई को प्राथमिकता से लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बात बहन अनिता यादव और आई०जी० शेर सिंह जी तथा दूसरे अन्य सदस्यों ने भी कही कि जो रिट्रैन्ड कर्मचारी हैं उनके बारे में हमारी सरकार क्या सोच रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट समर्थन रहा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी दर्शाया गया है तथा मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी एक दो दफा चर्चा की है कि हम ऐसे सारे केसिज को रिव्यू करेंगे और जो इंसाफ को बात होंगे वही करेंगे। किसी को न्याय नहीं मिला तो उसको न्याय देंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस एप्रोप्रियेशन बिल को पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken

into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 **Mr. Speaker:** Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Eirendei Singh): Sir. I beg
to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन वोट-औन-अकाउन्ट (नं० 2) बिल,
2005

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will

introduce the Haryana Appropriation Vote-on-Account (No.2) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Vote-on-Account (No. 2) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation Vote-on-Account (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation Vote-on-Account (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation Vote-on-Account (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is--

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन (रिपील) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill, 2005 and will also move for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Staff Selection Commission

(Repeal) Bill be taken into consideration at once.

डा० सुशील इन्दोरा (एस०सी०, ऐलनाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन (रिपील) बिल, 2005 सदन में पेश किया गया है। इस बिल को पेश करने जो कारण बताए गए हैं मैं उन पर कुछ प्रकाश डालते हुए आपके माध्यम से खासतौर पर उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2004 के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कानूनी दर्जा दिया गया था। यानि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमारी पिछली सरकार ने इस देश के कानून की इज्जत करते हुए एक ऐसी संस्था को ऐसा व्यवस्था दी जो कानून के दायरे में रह कर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय आज इस सदन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2004 को निरस्त करने के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है, जिस पर मुझे आपत्ति है। जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बिल, 2004 लाया गया था तो उस वक्त हरियाणा के लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि किसी भी संस्वन में किसी तरह को कोई गड़बड़ी न हो, वहां पर पढ़े-लिखे लोग हो, हर जाति, हर धर्म के लोग हो और ऐसे लोग हो जो सलैक्शन करते वक्त वरीयता को देखे वह लाया गया था। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में टोका नहीं जाए Why they are interrupting us when we did not object and interrupt anybody while they were speaking ? (Interruptions) सर, जब दूसरे साथी बोल रहे थे तो झुमने किसी

को बीच में नहीं टोका और अब जब हम बोल रहे हैं तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें वरीयता के आधार पर जो सर्विसिज दी जाती हैं वे हरियाणा के लोगों को मिलनी चाहिए हमारी सरकार द्वारा पास किए गए बिल में ऐसे इन्तजाम किए गए थे जिससे उसका कानूनों संस्था बनाया गया था। पिछले 30-35 सालों से तो यह हो रहा था कि वहां पर चाहें किसी अनपढ़ का भी बिठा सकते थे क्योंकि वह सिफारिशो हो सकता था मुख्यमन्त्री का सिफारिशी हो सकता था और किसी ऑफिसर का भी सिफारिशी हो सकता था। मेरे कहने का मतलब है कि इससे भ्रष्टाचार फैल सकता था और ऐसा लेकर कोई किसी का सलैक्शन कर सकता था। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। (विधन) भ्रष्टाचार के जनक के तौर पर कौन जाना जाता है? (विधन) हरियाणा प्रदेश में अगर इस पिछले पांच साल के समय को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो सरकार पांच साल तक रही तनु कैसी सरकार ली और कैसे काम करती थी ? आप तो दस मानु के लाद लच्छ हैं। (विधन) माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाए, मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि बीच-बीच में कमेंट्स न किये जाएं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, इससे पहले यह कानून बन गया था। साथ में यह भी हो गया था कि चीफ सैक्रेटरी उस प्रक्रिया में भागी हो जज उस प्रक्रिया में भागी हो और उसमें वे लोग शामिल हों जो रिटायर्ड सरकारी आदमी हैं, हमारी सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी

चयन आयोग को एक कानूनी अमली जामा पहनाया था। यह प्रक्रियाएं तो बदलती रहती हैं। (विधन) इसमें चेले-चपटे की कोई बात ही नहीं है। (विधन)

Mr. Speaker: Mr. Indora, you may go ahead. (Interruptions) Alright, go ahead. (Interruptions) जितनी चादर फ़ैलाओगे उतनी ही फटी हुई मिलेगी। (विधन) आप अपनी बात जारी रखें। ऑनरेबल मैम्बरज, इन्हे बोलने दे इनको बीच में टोके नहीं (विधन) This is very unfortunate. This is sad. (interruptions) Please have patience. Mr. Indora, you may continue.

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिल को कानूनी अमली जामा पहनाया गया था।

कृषि मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय मेरा थोडा सा सुझाव है, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय इन्दौर। साहब बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और पार्लियामेंट में भी रहे हुए हैं। मेरी अपने साथियों से प्रार्थना है कि इन्हे बोलने दें। तीन दिन से लगातार चौटाला साहब की सरकार पर जो ऐलिगेशन्ज लगते रहे हैं वे उनको बड़े ध्यान से सुनते रहे हैं और बाई एण्ड लार्ज दे उनसे सहमत थे क्योंकि उन्होंने कही पर भी विरोध नहीं किया। (विधन) इन्दौरा साहब, मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर ये ऐसे ही बैरंग चले गए तो इनका हिसाब-किताब

सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें बोलने दे।

श्री अध्यक्ष: यही बात तो मैं कह रहा था कि इन्हें बोलने दे। इन्दौरा साहब, आप कॉन्टीन्यू करें।

डा सूशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है और हमने उसको बड़ी तसल्ली से सुना है और इसलिए सरना हैं ताकि लोगो को पता चले कि इस सरकार की भावना क्या है और आज की सरकार हरियाणा के लोगो को क्या देना चाहती है? यह सरकार सिर्फ यह कहना चाहती है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया और गुण्डागर्दी की है, यह किया है और वह किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह सरकार यह बताए कि इनके इरादे क्या हैं ? क्या आप हरियाणा प्रदेश के लोगो को विकास देना चाहते हो, लोगो को अच्छा काम करके देना चाहते हो? आज हरियाणा सरकार की भावनाओं को हरियाणा के लोग देखे तो पिछले दो दिन सै हरियाणा की सरकार सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। यह सरकार सिर्फ बदले की भावना से काम करने वाली सरकार हे। अगर यह सरकार बदले की भावना से काम कूरने वाली सरकार न होती तो यह सरकार इधर उधर की बाते करने की बजाए, पिछली सरकार को क्रीटीसाइज करने की बजाए देश के हित के लिए अच्छे काम करती। मुख्यमंत्री जी ने जो सरसों की फसल खरीदने की घोषणा की है, वह

घोषणा इनको आज से पांच दिन पहले करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन इनकी भाषा में और दूसरे साथियों की भाषा में बहुत अन्तर है। (विघन) आप किस के गुनाह की बात कर रहे हो किसने गुनाह किया है। (विघन) स्पीकर सर मैं पार्लिमेंटरी सदन की एक परम्परा बताता हूँ। This is my maiden speech. मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, पिछली सरकार के वक्त एच०सी०एस० के पदों पर ऐसे आदमी सलेक्ट हुए हैं जो यह लिखते हैं "He is went." डा० साहब, आप हुस बात को क्यों खोलते हो? जितना खोलोगे, उतना ही आपके ऊपर पड़ेगा।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का पद जो होता है, वह किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होता है। आप हमे गार्ड करे, आदेश दे, आप जैसा कहेगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेगे।

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, hon'ble member will have to yield because aspersions are being cast on the Chair. इन्होंने कहा कि स्पीकर का पद किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जो नें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी की है कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार की नियुक्तियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य कोई आपत्ति

जाहिर करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी ने तों सबको बोलने का मौका दिया है और बार बार लीक दल के सदस्यों को पूछा है कि क्या वे अपने विचार सदन में प्रकट करना चाहते हैं ? इन्दौरा जी, आप सदन में नहीं थे और डाक्टर सीता राम जी यहीं पर बैठे हुए थे। कई सदस्य पिछली सरकार के वक्त में थे उनमें से आज इनकी पार्टी के एक दौ को छोड़कर यहां पर कोई भी नहीं है। इन्दौरा जी यह विडम्बना है और आपकी सरकार के वक्त में सदस्यों को सदन में से उठा-उठाकर बाहर भेजते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा जी, अब आप बोलें।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ बात कह रहा था आप जैसा आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता था कि इस रिपील बिल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयन अधिनियम, 2004 को निरस्त करने की बात तो कही गई है लेकिन इसमें इससे आगे कुछ नहीं कहा गया है कि इस बारे में सरकार की आगे क्या मंशा है कि इसको आगे बनाएंगे, इसको खराब करेंगे या क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें पै। ही बातें कही गई हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए फीस भर रखी है, जिन्होंने इम्तिहान दे रखे हैं। अध्यक्ष महोदय इस बारे में सोचना सरकार की जिम्मेवारी है कि कल को उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो यहां से पासआउट

कर गए हैं और जिन्होंने इन्टरव्यू दे रखे हैं ? अध्यक्ष महोदय कुछ बच्चे तो कोर्ट में भी चले गए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने कहा है कि सरकार अपने काम में पारदर्शिता लाएगी तो इस मामले में कहां दिखता है कि इस सरकार में पारदर्शिता है?

श्री अध्यक्ष: इंदौरा साहब, अब आप वाईड अप करें।

डा० सुशील इंदौरा: सर, मैं वाईड अप ही कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों को आपने बोलने का टाईम दिया है तो हमारा भी उसी तरह बोलने का अधिकार है। (विघ्न) कैप्टन साहब, आप मंत्री हैं लेकिन सदस्य हम भा हैं। जीतकर हम भी आये हैं। इसलिए हमारी भी वही सुविधाएं हैं जो आपकी हैं। हम भी सदस्य हैं। ऐसी बात नहीं कि हम आपसे कम हैं। अध्यक्ष जी जिस तरह से जुडीशियरी में यह हस्तक्षेप है वह ठीक नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता ये लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं इनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जुडीशियरी चाहे तो वह 15 दिन की, 10 दिन की या महीने की भी तारीख दे सकती है लेकिन इस मामले में सरकार की तरफ से तनि महीने का वक्त मांगा गया है। हम जानना चाहते हैं कि इन तीन महीनो में सरकार क्या करना चाहती है। अब जो यह हस्तक्षेप किया गया है दखलंदाजी की गयी है यह क्यों की गयी है?

वाक आउट

श्री अध्यक्ष: इन्दौरा साहब अब आपका टाईम खत्म हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाएं।

डा० सुशील इंदौरा: अध्यक्ष महोदय हमारी नजर में जो ग्रह रिपील बिल नाता गया है वह गलत लाया गया है इसको विद्वद्रा किया जाना चाहिए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन (रिपील) बिल, 2005 (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बरिष्ठ साथी ने एक बात कही। इन्होंने कहा कि उस समय सरकार वह बिल लोगों की भावनाओं की वजह से लायी थी। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि अब हम भी नह रीपील बिल लोगो की भावनाओं की वजह से ही ला रहे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुसार हा यह बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होने बच्चो के भविष्य के बारे में बात कही है मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार से समझती है।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, आपने तो अपनी गरिमा के अनुरूप इनको बोलने का मौका दिया

है लेकिन हम जानते हैं कि पिछले दस सालों से हम जब विधान सभा में विपक्ष में बैठते थे तो हमें बिल्व पर बोलने का बिलकुल भी मौका तक नहीं दिया जाता था। अब तो आप ने उनको बोलने का मौका दे दिया है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने एक बात स्टाफ सलैक्शन कमीशन (रिपील) बिएल, 2006 के बारे में कही कि यह रिपील दिल क्यों लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल इस बारे में इतना ही कहना है कि यह एस०एस० बोर्ड 1970 में बना था यानी 35 साल तक यह बोर्ड ठीक चलता रहा। जो हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन बनाया गया था, वह 1997 में बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, 2004 में ये लोग सडनली यहां पर बिल पास करते हैं, मैम्बर्ज से रैजोल्युशन लिए जाते हैं और एक साजिश के तहत जिस प्रकार से इन्होंने पिछले पांच सालों में लूट की थी, उसी तरह से दो अगले 6 सालों के लें लुट मचाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय उस उस समय जितने भी सलैक्शन हुआ करते थे वे केवल मात्र दड़बाकलां, नरवाना और रोड़ी हल्के के लड़कों के ही हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो वह बोर्ड था It was a den of corruption. अध्यक्ष महोदय, जे०बी०टी० की सलैक्शन में या एस०एस० टीचर्ज की सलैक्शन में हमारे इलाके के लोगों को बिलकुल भी नहीं लगाया गया जबकि वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय तो यहां तक बात हुआ करती थी कि जो ऐग्जाम देने आते थे वे कोर कागज देकर जाया करते थे लेकिन फिर भी उनको

पास किया जाता था। इस तरह से इस प्रकार की घटनाएं उस समय घटी हैं। आज जो ये लोग कह रहे थे मैं उनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने तो अब यहां पर खड़े होकर इतनी बात कह भी दी लेकिन जब हम विपक्ष में बैठते थे और जब हम बोलने के लिए खड़े होकर कुछ कहना चाहते थे तो हमें और दलाल साहब सबको खड़े-खड़े ही नेम कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की मंशा केवल यह है कि यह बोर्ड वह हो जिसमें इंटैग्रिटी के लोग हो और जिसमें मैरिट पर सिलक्शन हो। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो अंगूठा टेक लोग थे उनको नौकरियों पर लगाया जाता था और मुख्यमंत्री के घर पर इन लोगों की लिस्ट्स बनती थीं लेकिन हमारी सरकार की मंशा यह है कि इस के मेंबर अच्छे लोग बने और मैरिट पर काम हो तथा बाकायदा यहां का जो यूथ है जिसका इस बोर्ड के ऊपर से परोसा उठ गया था, उसका भरोसा फिर इस बोर्ड के ऊपर बने। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार का माहौल पिछले पांच साल के अंदर पैदा हुआ था, उस माहौल को अब हमारी सरकार बदलना चाहती है। उस वक्त तो यहां तक कहा जाता था कि बगैर पैसे दिए किसी बच्चे की सिलैक्शन नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब हमारी सरकार द्वारा जो इस बारे में फैसला लिया गया है वह जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है। यह जो रिपील बिल आधी हाउस में लाया गया है मैं समझता हूं कि इसको लाने के बाद जो भ्रष्ट किस्म के व्यक्ति

थे, उनसे लोगों को अब छुटकारा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहना चाहता था।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में स्टाफ सलैक्शन कमीशन के नाम से जो पिछले मुख्यमंत्री ने दुकान खोल रखी थी नियुक्तियों के नाम पर, उस गल्ती को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो बिल लायी है मैं उम्मीद करता हूँ कि सूदन के सभी सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए। हरियाणा की जनता यह उम्मीद करती थी कि स्टाफ सलैक्शन कमीशन को जल्दी से जल्दी बर्खास्त करके न केवल इसे समाप्त किया जाए बल्कि अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता तो यह उम्मीद करती है कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके और वह तमाम गुस्ताखियां और गलतियां जो उन्होंने की हैं और जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, उसका हिसाब भी इनसे लिया जाये। भाई इंदौरा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वाकआउट हो चुका है और वे अब वापस आ जाएं और वे यह जानें कि जिस स्टाफ सलैक्शन कमीशन की वे बात कर रहे थे उन्होंने क्या क्या घोटाले किए 'इ अध्यक्ष महोदय, इनके राज में स्टाफ सलैक्शन कमीशन ने पुलिस के सब इस्पैक्टर्ज की जो भर्ती की उसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, उस स्टाफ सलैक्शन कमीशन में इस भर्ती के लिए हजारों हरियाणा के नौजवान बच्चों ने पर्चे भरे, उसमें फीस भरी और जब इम्तिहान

हुआ तो उसमें जो काबिल और अच्छे पढ़ने लिखने वाले बुक थे, उनकी मेहनत धरी की धरी रह गई और हरियाणा के आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों को जो लड़ाई झगड़े में, गुंडागर्दी में ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के इशारों पर गलत काम किया करते थे, उनको भती किया गया। अध्यक्ष महोदय, उनकी नियुक्तियां आज भी हैं और वह लिस्ट सरकार मंगा सकती है। इन्दौरा साहब को मैं न्यौता देता हूँ भै स्वयं जाकर के उस लिस्ट को झांककर देख लें। उनमें कई लोग अभी भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनके खिलाफ एक नहीं, तीन-तीन, चार-चार मुकदमें दर्ज हैं। ओम प्रकाश चौटाला के स्टाफ सलैक्शन कमीशन के खुद चेयरमैन के बेटों का सिलैक्शन, स्टाफ सलैक्शन कमीशन के सदस्यों के बेटों व भतीजों का सलैक्शन, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो चौटाला के इशारों पर गलत काम किया - करते थे, उनके बेटा का सलैक्शन हुआ। जो व्यक्ति ओम प्रकाश चौटाला की काली करतूतों में शामिल हुआ करते थे और उसके गलत हुकों को चलाने में और मनवाने में जो शामिल हुआ करते थे, उनके बच्चों को उसमें स्थान देकर के उनका सलैक्शन हुआ। इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। इन्दौरा साहब को यहां आकर सुनना चाहिए। स्टाफ सलैक्शन कमीशन ने जिन 120 पुलिस सब इन्स्पैक्टर्स की भती की, वे ट्रेनिंग के लिए मधुबन में गए। सरकार ओम प्रकाश चौटाला की थी। पुलिस रूल्ज के मुताबिक पुलिस सब-इन्स्पैक्टर्स जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उनका वहां टैस्ट होता है। वह टैस्ट हुआ, यह रिकार्ड की बात है। लेकिन उन

120 या 100 सब इन्सपैक्टर्स में से 60 को मधुबन ट्रेनिंग सेंटर ने फेल करार दिया। कानून के मुताबिक मुकदमे दर्ज उसी दिन होने चाहिए थे जिस दिन वे 80 पुलिस सब इन्सपैक्टर्स फेल करार दिए गए थे लेकिन चौटाला ने उस उक्त के अधिकारियों को डरा धमका कर दोबारा पास करवाना चाहा। हरियाणा सरकार चाहे तो इसकी जांच करा सकती है। भाई इन्दौरा जी आए, हम इन्हें चुनौती देते हैं कि जितनी नियुक्तियां स्टाफ सलैक्शन कमीशन ने हरियाणा में फोरेस्ट गार्ड्स की की है, जे०बी०टी० की बनी हैं क्लर्क्स और स्कूल लैक्चरर्स की, की हैं और न जाने कितने पदों को स्टाफ सलैक्शन कमीशन के द्वारा भरा गया है, उनका इम्तिहान ले लिया जाए। मैं चुनौती देता हूँ कि उनका फिर से इम्तिहान ले लिया जाए। इंदौरा साहब सांसद रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस परीक्षा में निरीक्षक के तौर पर उन्हें बिठा दिया जाए। अगर वे बच्चे आज भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं तो इन्दौरा साहब यहां कह सकते हैं। इन्होंने हरियाणा के नौजवानों को इतना बुरी तरह से डिस्करेज किया कि नौजवान बच्चों का स्टाफ सलैक्शन कमीशन से भरोसा उठ गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवदेन करता हूँ कि सरकार ने जो स्टाफ सलैक्शन कमीशन समाप्त किया है, वह तो बहुत अच्छा किया है लेकिन इसके साथ ही आपको कोई ऐसा बिल भी लाना चाहिए कि जो नियुक्तियां स्टाफ सलैक्शन कमीशन ने की हैं, उन नियुक्तियों की फिर से जांच होकर उन तमाम चेंबरमैन व सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर इनको अन्जाम देने का काम सरकार को करना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब यहां है नहीं, मुझे तो उनको इस बिल के बारे में विशेष तौर पर एक बात कहनी है क्योंकि उनका यह एतराज था कि चौटाला सरकार ने स्टाफ सलैक्शन कमीशन को कानूनी अमली जामा पहनाया था ताकि नियुक्ति ठीक तरीके से की जा सके। शायद इन्दौरा साहब भूल गये, सलैक्टिव अमनेसियों का शिकार हो गये हैं। छः वर्ष तक चौटाला जी का शासन रहा। उन छः सालों में कानूनी अमली जामा पहनाने की बात पिछली सरकार को याद नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, केवल एक महीने पहले जब यह साबित हो चुका कि सरकार चली गई है और सार्थ बाते हाथ से निकल गई हैं तो जाते-जाते एक आडीनेँस लाकर हाथों-हाथ उसे कानूनी अमली जामा पहनाया गया। फिर अध्यक्ष महोदय, संयोग की बात यह है कि वही सदस्य जो उससे पहले स्टाफ सलैक्शन कमीशन के सदस्य थे उन्ही सदस्यों को एक बार फिर उस कमीशन का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। जो-जो उस कमीशन में हुआ, जो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है। माननीय सदस्यगणों ने उसकी चर्चा की है मैं दोबारा उन बातों को दोहराकर हाउस का समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके माध्यम से सदन के नोटिस में जरूर लाना चाहूंगा कि सरकार ने अपनी मन्शा स्पष्ट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर एथैस के जवाब में बड़े साफ शब्दों में साफगोई की कि हमारी सरकार का यह निश्चय है कि हम पारदर्शी तरीके से अच्छे से अच्छे आदमियों की नियुक्ति करके नये स्टाफ सलैक्शन

कमीशन की नियुक्ति करेंगे। ऐसे लोगों के कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जिसमें आम आदमी, आम नौजवान को उनकी योग्यता पर विश्वास होगा। जो लोग स्टाफ सलैक्शन कमीशन को निष्पक्ष तरीके के मैनेज करेंगे ऐसे स्टाफ सलैक्शन कमीशन का गठन किया जायेगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surejwala : Sir I beg to

move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now. the House stands adjourned sine-die.

***16.14 hrs**

(The Sabha then adjourned* sine die).